धिकारय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज दामोदर लालबनाम बनाम महेशचन्द वगैरा मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वास्ते बहस दि० 14-10-19 को पेश हो तब तक T.L की अवधि बढ़ाई जाती है उपखण्ड अधिकारी, महवा	
14/10/19 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस के लिये समय चाहते हैं अत: पत्रावली वास्ते बहस दि० 22-10-19 को पेश हो तब तक T.L की अवधि बढ़ाई जाती है। उपखण्ड अधिकारी, महवा	
आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते बहस दि० 23-10-19 को पेश हो तब तक T.L की अवधि बढ़ाई जाती है। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा)	
दिनांक 23-10-2019 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षउपस्थित। सायल के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है	

गैरसायल संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जा काश्त व खातेदारी की आरजी है। वादग्रस्त आराजी सायल व गैरसायल संख्या 1 एवं 2 को विरासत में प्राप्त हुई है जिसका आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर रखा है। सायल ने अपने हिस्सा की आराजी को उपजाउ बनाया है किन्तु गैरसायल संख्या2 वादग्रस्त आराजी को विकय करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

गैरसायल संख्या 3 उपस्थित आया तथा जबाब प्रस्तुत किया गया है कि गैरसायलान ने गैरसायल संख्या 2 से खसरा नम्बर 1364/2767 रकबा 0.51, 1725 रकबा 0.54, 1726/0.15, का 1/3 भाग रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय कर लिया है तथा राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार है। सायल को जानकारी होने के उपरान्त भी तथ्य छिपाकर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि पक्षकारान वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है तथा पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद लम्बित है। ऐसी स्थिति में हम गैरसायलान को मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबंद करना उचित समरूते है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम कोट तहसील महवा की आरजी खसरा नम्बर 1364/2767 रकबा 0.51, 1725 रकबा 0.54, 1726/0.15, 1728/2769/0.91 कुल किता 4 रकबा 2.11 हैक्टयर के

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज दामोदर लाल बनाम महेशचन्द वगैरा मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा)	